<u>संख्या:87/2026/572/35-4-2026/35-4002(003)/43/2026</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-395, 399/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 18.3.2026 एवं पत्र सं0-405,406, व 402 /त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक19.3.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर नगर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **5881.88** लाख (रूपये **अटठावन करोड़ इक्यासी लाख अट्ठासी हजार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **2823.00** लाख (रूपये **अट्ठाइस करोड़ तेईस लाख** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	**लम्बाई (मी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**	**कार्यदायी संस्था**
1.	ग्राम पंचायत बौसर के मजरा गेरहा में गुलाब सविता के घर से राजेंद्र चक्की से छोले बिहारी व राजकुमार के घर होते हुए चमन के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य	710	41.14	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
2.	ग्राम पंचायत डोमनपुर में फागुनी के घर से योगेन्द्र सिंह चौहान के घर तक रोड वा नाली निर्माण कार्य	746	53.21	26.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
3.	ग्राम पंचायत बौसर के मजरा मडईयन में रामबहादुर यादव से सीताराम पासवान होते हुए पंचयात भवन के बगल रमेश के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य	611	35.79	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
4.	ग्राम पंचायत तिलसहरी बुजुर्ग में अमृत सरोवर से बाबा विश्वनाथ स्मारक अकादमी होते हुए टेलीकॉम तक रोड व नाली निर्माण कार्य	520	31.55	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
5.	ग्राम पंचायत मडीलवा के मजरा कुरियानी में ओमप्रकाश के घर से सुरेश उत्तम के घर होते हुए उमाशंकर उत्तम घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य	412	27.17	13.00	ग्रा0अभि0 वि0
6.	ग्राम पंचायत भदासा में नीरज के घर से प्रा० वि० होते हुए सैबसी मार्ग तक रोड व नाली निर्माण कार्य	751	55.30	27.00	ग्रा0अभि0 वि0
7.	ग्राम पंचायत ऐमा में ज्ञान सिंह के घर से बलबीर यादव,मुलायम दिवाकर से जसवंत यादव के घर तक, करुणा शंकर से मगैती के घर होते हुए नीरज यादव के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य	727	45.36	22.00	ग्रा0अभि0 वि0
8.	ग्राम पंचायत महाराजपुर के मजरा मूजखेडा में रामनारायण के घर से नीरज के घर होते हुए शिवकरन सिंह के खेत तक रोड व नाली निर्माण कार्य	540	31.56	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
9.	ग्राम पंचायत अमौली के मजरा लाहौरपुर में मुख्य डामर रोड से शिवमंगल से रानी देवी के घर होते हुए प्रशांत दुबे किशन के घर तक रोड वा नाली निर्माण कार्य	550	39.22	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
10.	ग्राम पंचायत सलेमपुर में छोटकऊ के घर से बाज़ार होते हुए अजय शुक्ल के टूयूब वेल तक रोड निर्माण कार्य	650	50.63	24.00	ग्रा0अभि0 वि0
11.	ग्राम पंचायत पूरनपुर में नसीर अहमद के घर से मिश्रीलाल कुशवाहा,मुलादेवी से होते हुए सीताराम वा रमेश कुशवाहा टूयूबवेल तक रोड व नाली निर्माण कार्य	518	29.56	14.00	ग्रा0अभि0 वि0
12.	ग्राम पंचायत टिकरकान्ह में संजय दुबे के घर से अजय दुबे,मुन्ना प्रसाद,शिवनारायण साहू,सतेन्द्र	511	29.00	14.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
	कुशवाहा के घर होते हुए रामसजीवन यादव के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य				
13.	ग्राम पंचायत हरचन्द्रखेडा के मजरा शगुनपुर में डामर रोड से मंदिर वा श्रीपाल, देवो प्रसाद मिश्रा के घर होते हुए डामर रोड तक रोड व नाली निर्माण कार्य	704	41.96	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
14.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम टिकवांपुर में ज्ञानेन्द्र सचान के प्लाट से गोसाईं बाबा मन्दिर तक इन्टरलांकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	645	47.24	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
15.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम कोटरा में सत्ती चौरा से संतोष महाराज के घर इन्टरलांकिग/नाली का निर्माण कार्य	521	32.87	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
16.	ब्लाक पतारा के ग्राम कल्यानपुर (इटरी) मेंन रोड से प्राइमेरी स्कूल होते हुए राजेश कुरील के घर तक इन्टरलांकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	502	40.16	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
17.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम सरगांव में राम नारायन कुशवाहा के दरवाजे से सजेती श्रीनगरमार्ग तक इन्टरलांकिंग/नाली का निर्माण कार्य ।	760	46.74	22.00	ग्रा0अभि0 वि0
18.	ब्लाक पतारा के ग्राम गनेशपुर में (नन्दना) लल्ली सिंह के घर से लेकर प्राइमेरी स्कूल तक इन्टरलांकिग/नाली का निर्माण कार्य ।	501	30.64	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
19.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम निमधा में संतोष संखवार के घर से पंचायत घर तक इन्टरलांकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	504	34.38	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
20.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम कटरी में मुक्ता के घर से टावर के पास तक इन्टरलांकिंग नाली का निर्माण कार्य	516	29.57	14.00	ग्रा0अभि0 वि0
21.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम स्योंदी ललईपुर में राम खिलावन के दरवाजे से एनम सेन्टर होते हुए सरकारी गल्ले की दुकान तक इन्टरलांकिंग / नाली का निर्माण कार्य ।	502	31.83	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
22.	ब्लाक घाटमपुर के ग्राम मवई माधव के मजरा राजपुर में मछैला ग्राम तक इन्टरलांकिग / नाली का निर्माण कार्य	656	38.89	19.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
23.	ब्लाक भीतरगांव के ग्राम कुआखेड़ा में बरातशाला से हुलासपुर डामर रोड तक इण्टरलांकिग / नाली का निर्माण कार्य।	515	34.12	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
24.	ब्लाक भीतरगांव के ग्राम कमलापुर में मैंन डामर रोड से हनुमान के घर होते हुए राम सिंह कुटार के दरवाजे तक इण्टरलांकिंग/नाली का निर्माण कार्य	685	41.05	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
25.	ब्लाक पतारा के ग्राम टेनापुर में कानपुर-हमीरपुर हाइवे से टेनापुर गांव तक इण्टरलांकिंग / नाली का निर्माण कार्य ।	540	35.23	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
26.	ब्लाक पतारा के ग्राम बलाहापारा खुर्द में लल्लन साहू के दरवाजे से गढ़ी माता मन्दिर तक इन्टरलांकिंग / नाली का निर्माण कार्य ।	530	29.20	14.00	ग्रा0अभि0 वि0
27.	ब्लाक भीतरगांव के ग्राम सवाईपुर में प्रमोद सचान के घर व रामशंकर सचिव के दरवाजे से प्राइमेरी स्कूल से देवीमाता गंगा राम सचान के दरवाजे से कुंवर बहादुर विश्वकर्मा जयनरायन सचान के दरवाजे से होते हुए बड़े तालाब तक तथा देवीमाता गंगाराम सचान के दरवाजे वीरेन्द्र सचान के दरवाजे होते हुए सरेश कुरील व गजोधर कुरील के दरवाजे होते हुए होरीलाल कुरील के दरवाजे तक इन्टरलांकिंग/ नाली का निर्माण कार्य|	648	37.30	18.00	ग्रा0अभि0 वि0
28.	एन.एच.-2 मजार से मुरलीपुर होते हुए सिंहपुर खडंजे तक मार्ग ।	1200	143.56	69.00	ग्रा0अभि0 वि0
29.	ग्राम पंचायत रोशनपुर में त्रिलोक सिंह के दरवाजे से सिमरुआ मोड तक मार्ग।	555	36.64	18.00	ग्रा0अभि0 वि0
30.	ग्राम गाजीपुर में रामभवन सविता के दरवाजे से शहीद स्मारक स्थल तक मार्ग।	530	35.70	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
31.	पाली मंधना मार्ग से तुसौरा डामर रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य।	620	44.20	21.00	ग्रा0अभि0 वि0
32.	दलेलपुर से पसेकापुरवा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	800	47.95	23.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
33.	साढ जहानाबाद मार्ग से गडरियनपुरवा तक मार्ग का निर्माण कार्य	600	47.07	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
34.	तिलियावर से चिल्ली घारमपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य ।	550	33.89	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
35.	प्राइमरी स्कूल सिद्धपुर से राजू चौहान के घर तक मार्ग निर्माण कार्य	990	56.83	27.00	ग्रा0अभि0 वि0
36.	खेरसा सहकारी समिति से जयसिंहपुर पुलिया तक मार्ग का निर्माण कार्य।	600	53.95	26.00	ग्रा0अभि0 वि0
37.	**सर्वधर्म चौक से बम्बा रोड़ होते हुए गुरु गोविन्द रोड़ गुमटी न05 तक डामरीकरण एवं फुटपाथ एवं नाली का निर्माण कार्य**	650	71.47	34.00	लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई
38.	**चुन्नीगंज घंटे वाले मंदिर के सामने सुदर्शन नगर 96\1 मलीन बस्ती के इन्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य**	620	32.95	16.00	लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई
39.	**जोन-2 वार्ड 73 जाजमऊ के अन्तर्गत ताज के घर से हनुमान मंदिर के चारो तरफ होते हुए 24 दुकान होते हुए वा आंतरिक गलीयो मे इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य ।**	715	61.50	30.00	लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई
40.	**जोन-2 वार्ड-73/29 जाजमऊ/ ओमपुरवा मलेट्री फार्म ट्रान्सफार्मर से मदीन मस्जिद से होते हुए गल्ला गोदाम तक व सर सैयद स्कूल से तेल मिल चौराहे तक व आन्तरिक गलियो में एच०एम०पी०/ इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।**	1075	50.33	24.00	लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई
41.	**पुष्पेंद्र चौराहे से परमट मंदिर तक सड़क निर्माण**	320	52.65	25.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
42.	**गुप्तार घाट चौराहे से डीएवी ग्राउंड तक सड़क निर्माण**	609	32.18	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
43.	**जौहरी भवन धनकुट्टी से रिक्की लाल तिराहे तक सड़क निर्माण**	290	21.48	10.00	ग्रा0अभि0 वि0
44.	**कल्याणपुर विधानसभा के कल्याणपुर पनकी रोड जमुना पेड़े वाले की दुकान से बम्बा रोड होते हुए बासु मेडिकल स्टोर पुरानी शिवली रोड डामर रोड से बारासिरोही केसा तक दोनों तरफ डामर रोड का निर्माण कार्य ।**	750	112.12	54.00	ग्रा0अभि0 वि0
45.	**कल्याणपुर विधानसभा के अम्बेडकरपुरम् आवास विकास सं0-3 में म0सं0 3/218 से म0सं0 3/247 तक एवं 3/360 तक एवं म0सं0 3 / पीआर / 15 से म0सं0 ईडब्ल्यूएस 3/1243 तक एवं म०सं० ई-676 से ई-612 तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ।**	660	79.50	38.00	ग्रा0अभि0 वि0
46.	**कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड सं0 17 मैनावती रोड में श्री रामकृपा हाउसिंग सोसाइटी में नाले का निर्माण कार्य ।**	930	64.88	31.00	ग्रा0अभि0 वि0
47.	**कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत अम्बेडकरपुरम् में म0सं0 1/1 से म0सं0 1/48 तक मुख्य केसा रोड का डामरीकरण का निर्माण कार्य।**	420	35.94	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
48.	**कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत सुखऊपुरवा, ख्यौरा में सूर्य विहार लिंक रोड से पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हुए इक्यावन भोग तक रोड का निर्माण कार्य।**	525	47.61	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
49.	**कल्यानपुर विधानसभा के अन्तर्गत खलासी लाइन में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य।**	1 No.	47.47	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
50.	ग्राम पंचायत सीढी के मजरा घारमपुर में सोने लाल राजपूत के दरवाजे से होते हुए हरमोहन राजपूत के दरवाजे तक मार्ग का निर्माण कार्य।	700	40.06	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
51.	ग्राम खुचकीपुर गंगभेव में प्रेम नरायण के घर से राम प्रकाश के घर होते हुए कमलेश पासवान के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	610	33.31	16.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
52.	ग्राम पंचायत कैंधा में नयापुरवा जनक के मकान से बंधीपुरवा में धर्मवीर के मकान तक मार्ग निर्माण कार्य।	590	34.57	17.00	ग्रा0अभि0 वि0
53.	उमरी असेनिया डामर मार्ग से सिकहुला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	750	45.39	22.00	ग्रा0अभि0 वि0
54.	मुरलीपुर सरहद से सूलपुर तक मार्ग निर्माण कार्य।	775	45.51	22.00	ग्रा0अभि0 वि0
55.	टिकरा शिवली मार्ग से ब्रजनरायण बाजपेयी के मकान तक मार्ग निर्माण कार्य।	415	16.07	8.00	ग्रा0अभि0 वि0
56.	मनियापुरसे दौलतपुर तक मार्ग निर्माण।	1400	86.91	42.00	ग्रा0अभि0 वि0
57.	खडेसर गांव से ज्वालापुरवा गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	520	30.41	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
58.	खडेसर गांव छत्तारपुरवा गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	830	47.38	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
59.	पटकन ताला से नहर पटरी मार्ग का निर्माण कार्य।	1265	85.50	41.00	ग्रा0अभि0 वि0
60.	ग्राम पंचायत विपौसी में बगहा डामर रोड से कन्हई निषाद के दरवाजे तक मार्ग का निर्माण कार्य।	550	25.33	12.00	ग्रा0अभि0 वि0
61.	पाली मंधना मार्ग से बेहटा डामर रोड तक मार्ग निर्माण का कार्य।	770	44.30	21.00	ग्रा0अभि0 वि0
62.	ग्राम पंचायत जामू में राजेन्द्र सिंह के दरवाजे से बिधनू किसान नगर नहर पुल तक मार्ग निर्माण कार्य।	1100	44.73	21.00	ग्रा0अभि0 वि0
63.	ग्राम पंचायत सिकहुला में ताजपुर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य।	650	37.05	18.00	ग्रा0अभि0 वि0
64.	उमरी असेनिया मार्ग से शंकरपुर गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	750	44.76	21.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
65.	ग्राम पंचायत जामू में जिगनी अडडा मोड से सुघर सिंह के अडडे तक मार्ग का निर्माण कार्य।	708	41.22	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
66.	होरा कछार में प्रेमपुर कछार तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1240	81.56	39.00	ग्रा0अभि0 वि0
67.	ठाकुर प्रसाद पुरवा मार्ग से कैंधा तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1300	95.23	46.00	ग्रा0अभि0 वि0
68.	**अर्मापुर नहर से थम्सअप चैराहे तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य ।**	330	25.35	12.00	ग्रा0अभि0 वि0
69.	**जल निगम कार्यालय अर्मापुर पीछे गेट से पनकी पावर हाउस नहर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य**	1725	263.69	127.00	ग्रा0अभि0 वि0
70.	**प्रकाश विद्या मन्दिर स्कूल से काशीराम कालोनी के पीछे होते हुए मिश्री लाल चैराहे तक नाली एंव इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य**	379	45.32	22.00	ग्रा0अभि0 वि0
71.	**एच0 आई0 जी0 पुलिया रतनलाल नगर से झाॅसी रेलवे लाइन तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य**	405	28.70	14.00	ग्रा0अभि0 वि0
72.	**तात्या टोपेनगर में एल0 आई0 जी0-90 से एल0 आई0 जी0-1 तक आंतरिक मार्ग में इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य**	415	28.07	13.00	ग्रा0अभि0 वि0
73.	**पनकी धाम पुल के नीचे से रेलवे फाटक होते हुए सरायमीता तिराहे तक मार्ग का निर्माण।**	630	83.11	40.00	ग्रा0अभि0 वि0
74.	**संतोष फौजी 704 सुन्दर नगर से रानी पार्क होते हुए रघुनाथ मकान नं0-254 तथा 767 से होते हुए अन्त टैडर्स 734 तक मार्ग निर्माण।**	339	13.12	6.00	ग्रा0अभि0 वि0
75.	**दबौली में ई0वी0 चार्जिंग स्टैशन हरमिलाप स्कूल से बाबा नागेश्वर धाम तक मार्ग**	235	14.58	7.00	ग्रा0अभि0 वि0
76.	वार्ड 65 संजय गांधी नगर गड़रियनपुरवा में ब्रम्ह देव मंदिर से पाल चैराहा तक एवं मुखिया आटा	620	72.81	35.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
	चक्की से पाण्डेय के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
77.	वार्ड 62 पुशुपुरम कोयला नगर में उत्तम बेकरी से म0नं0 1963/24ए अजय कुमार शिवहरे तक एवं म0नं 1324/30 अनिल शुक्ला के मकान से 100ए देवेन्द्र पासवान के मकान तक एवं म0नं0 1333 चन्द्रमोहन के मकान से मेन रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	654	106.50	51.00	ग्रा0अभि0 वि0
78.	वार्ड 46 रामखिलावन सिहं के घर से अरूण कुमार के घर से प्रजापति के घर होते हुए पलक जनरल स्टोर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	800	112.81	54.00	ग्रा0अभि0 वि0
79.	वार्ड 46 संगीता राजपूत के घर से कमलावती के घर होते हुए गोवर्धन सोसायटी न्यू आजाद नगर सतबरी रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	511	59.09	28.00	ग्रा0अभि0 वि0
80.	वार्ड 7 बर्रा 2 म0नं0 1 न्यू एमआईजी दरोगा चैराहा से पीला पुल होते हुए श्री लगन डीजे बैण्ड तक व पीला पुल से म0नं0 126/35 यू ब्लाक गोविन्द नगर तक सड़क निर्माण कार्य।	905	70.91	34.00	ग्रा0अभि0 वि0
81.	वार्ड 74 गिरिजा नगर ई ब्लाक राम नगरी फेस 1 में मंदिर से छंगू के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	1000	76.98	37.00	ग्रा0अभि0 वि0
82.	ढरहरा पीडब्लूडी रोड से बारातशाला तक सड़क निर्माण कार्य।	586	47.34	23.00	ग्रा0अभि0 वि0
83.	आवास वार्ड 23 ओम पार्टी लान से सम्परण नर्सिग होम नहरिया पटरी तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	525	50.76	24.00	लो0नि0वि0, पी0एम0 जी0एस0 वाई
84.	वार्ड 50 पनकी में कपली मेन रोड से जसराम कुशवाहा के मकान तक डामर रोड निर्माण कार्य।	680	87.47	42.00	लो0नि0वि0, पी0एम0 जी0एस0 वाई

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
85.	वार्ड 27 आश्रम बम्बा रोड से लोधर पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	680	58.55	28.00	लो0नि0वि0, पी0एम0 जी0एस0 वाई
86.	मैनावती मार्ग संजीवनी क्लीनिक से अरविन्द निशाद के मकान से होते हुए गंगा बैराज हाइवे तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	600	49.76	24.00	लो0नि0वि0, पी0एम0 जी0एस0 वाई
87.	ग्राम पंचायत विरसिंहपुर कमल पाल के मकान से होते हुए बाला जी स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य।	1050	75.55	36.00	ग्रा0अभि0 वि0
88.	ग्राम बारी अनिल सिंह के मकान से विनायक तिवारी के ब्लाक तक सड़क निर्माण कार्य।	900	63.03	30.00	ग्रा0अभि0 वि0
89.	ग्राम बैराठनपुरवा में बैजनाथ पाल के दरवाजे से सर्वेश पाल के दरवाजे तक सड़क निर्माण कार्य।	380	22.44	11.00	ग्रा0अभि0 वि0
90.	ग्राम टिक्क्नपुरवा में पानी प्लांट से इन्द्रपाल के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	450	26.38	13.00	ग्रा0अभि0 वि0
91.	रोशनपुर बम्बा से पाली खुर्द तक सड़क निर्माण कार्य।	1280	90.35	43.00	ग्रा0अभि0 वि0
92.	शम्भुआ में हमीरपुर रोड से प्राचीन करिंगा मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	730	52.46	25.00	ग्रा0अभि0 वि0
93.	जामू में लाखन सिंह के अडडे में लालूपुर रोड से श्याम सिह के अडडे तक सड़क निर्माण कार्य।	530	44.47	21.00	ग्रा0अभि0 वि0
94.	इटारा में मजरा देवी पुरवा से बंजारी देवी मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य।	1500	89.93	43.00	ग्रा0अभि0 वि0
95.	**वार्ड-18 जोन-03, किदवई नगर थाना मोड़ से सुभाष स्कूल होते हुये वैण्डी चौराहा नहर पटरी तक सड़क निर्माण कार्य।**	1030	49.57	24.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
96.	**वार्ड-18 जोन 03, गुलमोहर स्कूल चौराहे से नहर पटरी तक हॉट मिक्स द्वारा सड़क एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य।**	620	57.34	28.00	ग्रा0अभि0 वि0
97.	**वार्ड-65 जोन-03, नेशनल हाईवें से केसरी मंगलम होते हुये कात्यानी चौराहे तक सड़क का निर्माण कार्य ।**	596	39.22	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
98.	**वार्ड-09 जोन 05, राम गोपाल चौराहे के मोड़ से बिल्सि हॉस्पिटल होते के०डी०एम०ए० स्कूल के मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य।**	846	39.78	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
99.	**वार्ड-77 जोन-03, सेंगर गेस्ट हाउस से प्रिया हॉस्पिटल मोड़ तक एच० एम० पी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।**	462	22.34	11.00	ग्रा0अभि0 वि0
100.	**वार्ड-77 जोन-03, सी ब्लॉक पार्क के चारो तरफ एवं प्राइमरी स्कूल के चारो तरफ हॉट मिक्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य**	590	23.44	11.00	ग्रा0अभि0 वि0
101.	**वार्ड-18 जोन-03, गुंजन स्वीट हाउस से जागरण मोड़ तक एच० एम० पी० द्वारा सड़क निर्माण कार्य।**	595	34.27	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
102.	**वार्ड-18 जोन - 03, सोसाइटी मोटर्स से वीनू शुक्ला पेट्रोल पम्प तक सड़क निर्माण कार्य।**	1320	82.00	39.00	ग्रा0अभि0 वि0
103.	**वार्ड-88 जोन 03, धोबिन पुलिया से काठ की पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य।**	1100	38.80	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
104.	**वार्ड-39 जोन 03, प्रभु पार्क से लेकर ए०के० स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य।**	520	38.65	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
105.	**वार्ड-84 जोन 03, शुभम गेस्ट के सामने से निरंकारी चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य।**	180	18.63	9.00	ग्रा0अभि0 वि0
106.	**वार्ड-14 जोन 03, गुप्ता सलूजा पेट्रोल पम्प के बगल से होते हुये अग्रवाल नट बोल्टफैक्टरी तक सड़क निर्माण कार्य।**	415	61.39	29.00	ग्रा0अभि0 वि0
107.	विकास खण्ड चौबेपुर के ग्राम पंचायत कुकरादेव में शिवलाल कुशवाहा के घर से रामा हॉस्टल गेन नं.-3 तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	505	39.40	19.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
108.	विकास खण्ड शिवराजपुर के ग्राम पंचायत निशोन में हिन्दूपुर निशोन लिंक मार्ग में बम्बा होते हुये अलौलापुर रमेश वर्मा के घर के पास तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	550	31.52	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
109.	विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत गदनपुर चोरसा में डामर रोड से राधे श्याम के घर राजनलाल के घर होते हुये राधा किशन के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	650	33.32	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
110.	विकास खण्ड ककवन के ग्राम पंचायत विशधन में शिव सिंह के घर से सन्तराम के कुंआ तक और विपिन के घर से कमलेश के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	500	25.13	12.00	ग्रा0अभि0 वि0
111.	विकास खण्ड चौबेपुर के ग्राम पंचायत नौनाहा नरसिंह में प्राइमरी स्कूल से नौनाहा कला से रामसिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	430	21.61	10.00	ग्रा0अभि0 वि0
112.	विकास खण्ड शिवराजपुर के ग्राम पंचायत मुंहपोछा के मजरा पनका में दाण्डी बाड़ा आश्रम में सोमेश्वर मन्दिर परिसर से शिवराजपुर दबौली डामर मार्ग तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	540	30.05	14.00	ग्रा0अभि0 वि0
113.	विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत सांभी का मजरा टिकरिया से रतीरामपुरवा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	350	19.27	9.00	ग्रा0अभि0 वि0
114.	विकास खण्ड ककवन के ग्राम पंचायत गडरियन पुरवा से सिहुरादारा शिकोह सम्पर्क मार्ग इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	630	34.26	16.00	ग्रा0अभि0 वि0
115.	विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत खजुरी में लखनऊ-इटावा डामर रोड से गांगुली के घर से होते हुए स्व. बाबू राम कटियार के घर होते हुए स्व. अशोक कटियार M.L.C.के मकान तक इण्टरलाकिंग / सी.सी निर्माण कार्य	750	37.44	18.00	ग्रा0अभि0 वि0
116.	विकास खण्ड चौबेपुर के ग्राम पंचायत रौतापुर बम्बा से नाढ़ूपुर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	740	41.31	20.00	ग्रा0अभि0 वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
117.	विकास खण्ड शिवराजपुर के ग्राम पंचायत मुंहपोछा में प्यारेपुर-राधन मुख्यमार्ग से नारायण स्वामी आश्रम की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	830	40.97	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
118.	विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत बकोठी में बिर्राखानपुर लिंक रोड से बकोठी पुरवा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	570	41.53	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
119.	विकास खण्ड शिवराजपुर के ग्राम पंचायत तक सखरेज में सुज्जापुर की पुलिया से कण्ठीपुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	630	41.33	20.00	ग्रा0अभि0 वि0
120.	विकास खण्ड बिल्हौर के ग्राम पंचायत अकबरपुर सेंग के मजरा मतलबपुर जुलाहा में मतलबपुर से लेकर क्ल्लूपुरवा गांव तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	600	39.56	19.00	ग्रा0अभि0 वि0
121.	विकास खण्ड चौबेपुर के ग्राम पंचायत गबड़हा के मजरा बगिया में बगिया मोड़ से भिटारी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	505	30.39	15.00	ग्रा0अभि0 वि0
	योग		**5881.88**	**2823.00**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

12.स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13.त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14.प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

15.ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

16.परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

17.जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

18.अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

19.परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

20.स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

21.स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

22.राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

23.कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

24.जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

25.कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

26.यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

27.अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

28.कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

29.वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30.प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

31.प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

32.नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों की मद के नामे डाला जायेगा:-

- उक्त तालिका के **क्रमांक-37 से 48, 68 से 75 तथा 95 से 106** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **801.00 लाख** को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

योजना- **0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

- उक्त तालिका के **क्रमांक-49** पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रू. **23.00 लाख** को लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण** हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **1999.00 लाख** को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:87/2026/572(1)/35-4-2026/35-4002(003)/43/2026, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास /पंचायती राज विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर।
17- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।